रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

CENTRAL SECR. LIBRARY Date ... GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 1981/चैत्र 18, 1903

No. 158] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 1981/CHAITRA 18, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1981

का० आ० 296(अ)—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

तारीख 15 मई, 1980 और 29 मई, 1980 को फाइल की गई अपनी दो अर्जियों मे फिरोजपुर सिटी के एक अधिवक्ता श्री मस्तराम ने यह अभिकथन किया है कि लोक सभा के आसीन सदस्य श्री बलराम जाखड़ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77, 78 और 10क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1) (ङ) के अधीन निरर्हित हो गए है ;

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन उक्त अर्जियों के संबंध मे निर्वाचन आयोग को यह निर्देश किया था कि क्या श्री बलराम जाखड़ संविधान के अनुच्छेद 102 मे वर्णित निरर्हताओं मे से किसी निरर्हता के भागी हो गए हैं।

निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय (उपाबंध देखिए) व्यक्त की है कि वर्तमान मामला संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन न तो राष्ट्रपति की और न आयोग की अधिकारिता के अन्तर्गत आता है और यह कि गुणागुण के आधार पर भी श्री बलराम जाखड़ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) के अधीन कोई निरर्हता उपगत नहीं की है ;

अतः मै, नीलम संजीव रेड्डि भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार यह विनिश्चय करता हूं कि इन अर्जियो मे उल्लिखित मामला उक्त अनुच्छेद के अधीन न तो राष्ट्रपति की और न आयोग की अधिकारिता के अन्तर्गत आता है और गुणागुण के आधार पर भी श्री बलराम जाखड़ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ.) के अधीन कोई निरर्हता उपगत नही की है।

राष्ट्रपति भवन, नीलम संजीव रेड्डि

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1981 भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 1980 का निर्देश मामला सं० 6

लोक सभा के आसीन सदस्य श्री बलराम जाखड़ की अभिकथित निरर्हता के मामले मे।

राय

यह निर्देश भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन किया है। इसमें उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77, 78 और 10क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1) (ङ) के अधीन लोक सभा के एक आसीन सदस्य श्री बलराम जाखड़ की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर आयोग की राय मांगी है।

उक्त प्रश्न फिरोजपुर सिटी के एक अधिवक्ता श्री मस्तराम ने 15 मई, 1980 और 29 मई, 1980 को राष्ट्रपति के समक्ष फाइल की गई दो अर्जियों द्वारा उठाया था। इन अर्जियों में यह अभिकथन किया गया था कि श्री बलराम जाखड़ ने जो कि दिसम्बर, 1979--जनवरी, 1980 में हुए साधारण निर्वाचन में 13-फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन विधि द्वारा अपेक्षित रूप में निर्वाचन व्यय का लेखा नहीं रखा यह कि उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 78 के अधीन लेखा देने के लिए मिथ्या लेखा तैयार किया और उन्होंने व्यय की उस विवरणी की जो उन्होने जिला निर्वाचन अधिकारी, फिरोजपुर के पास फाइल की थी, यह जानते हुए और विश्वास करते हुए कि वह मिथ्या है और यह विश्वास न करते हुए कि वह सही है, लेखा की सही प्रति प्रमाणित किया था। अर्जीदार ने अपनी उपर्युक्त अर्जियों में श्री बलराम जाखड़ द्वारा फाइल की गई विवरणी से कुछ उद्धरण यह दर्शित करने के लिए दिए थे कि दिन प्रति दिन मद वार लेखा नही रखा गया था क्योंकि व्यय की तारीख को उस तारीख के रूप में दर्शाया गया था जिस तारीख को भुगतान किए गए थे, न कि उस तारीख के रूप में जिस तारीख को ऐसे व्यय उपगत या प्राधिकृत किए गए थे। यह भी अभिकथन किया गया था कि श्री बलराम जाखड़ ने व्यय की अनेक मदों को जानते हुए और साशय कम करके लिखा है और कुछ महत्वपूर्ण व्ययों को बिल्कुल नहीं दिखाया है। इन अभिकथनों के आधार पर अर्जीदार द्वारा यह दलील दी गई थी कि श्री बलराम जाखड़ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77, 78 और 10क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1) (ङ) और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ग, 191, 199 और 200 के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है।

अर्जीदार की इन दलीलों का और इन दलीलों के प्रत्युत्तर में श्री बलराम जाखड़ द्वारा अपने लिखित कथन में किए गए निवेदनों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करना आवश्यक नहीं है क्योंकि पहले तो इस बात पर विचार किया जाना है कि क्या इस मामले में अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग की अधिकारिता लागू होती है। संविधान का अनुच्छेद 103 केवल ऐसे मामलों में ही लागू होगा जिनमें किसी संसद सदस्य ने सदस्य बनने के बाद संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित कोई निरर्हता वास्तव में उपगत कर ली है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 103 के उपबंध किसी सदस्य की केवल निर्वाचन के बाद की निरर्हता को ही लागू होते हैं।

श्री बलराम जाखड़ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1) (ङ) के आधार पर निरर्हित नहीं किया गया है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें सदस्य, आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन जारी किए गए आदेश के अधीन सदस्य विधि द्वारा अपेक्षित समय के भीतर और रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण किसी निरर्हता से ग्रस्त है। अर्जीदार अनुच्छेद 103 का सहारा, विधि द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रखने के लिए श्री जाखड़ की अभिकथित असफलता के बारे में इस प्रक्रम पर जांच शुरू कराने और श्री बलराम जाखड़ को निरर्हित करते हुए उक्त धारा 10क के अधीन निरर्हता आदेश जारी करने की आयोग से अपेक्षा करने के सांपार्श्विक प्रयोजन के लिए नहीं ले सकता है।

उपरोक्त दृष्टि से मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि वर्तमान मामले न तो राष्ट्रपति की और न आयोग की अधिकारिता के अंतर्गत आता है।

गुणागुण के आधार पर भी, अर्जीदार उन अभिकथनों को साबित नहीं कर सका है जो उसने किए हैं। इस मामले में 7 फरवरी, 1981 को हुई सुनवाई में अर्जीदार ने केवल इस आक्षेप पर जोर दिया था कि श्री बलराम जाखड़ ने अपने द्वारा उपगत या प्राधिकृत निर्वाचन-व्ययों का दिन प्रति दिन का लेखा नहीं रखा है। और यह कि उन्होंने कई तारीखों को उपगत या प्राधिकृत व्यय एक ही प्रविष्टि में दर्शित किए हैं जो उस तारीख को अभिलिखित की गई थी जिस तारीख को ऐसे व्यय की बाबत संदाय किया गया था। इस प्रकार जो आक्षेप किया गया है वह केवल तकनीकी प्रकार का है और श्री बलराम जाखड़ द्वारा लेखा रखने की रीति के संबंध में है। मैं यह अभिनिर्धारित करने के लिए तत्पर नहीं हूं कि लेखा रखने की ऐसी पद्धति का पालन करके श्री जाखड़ विधि द्वारा अपेक्षित रूप में अपने लेखा रखने में असफल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आक्षेपित प्रविष्टियों के अन्तर्गत आने वाले व्यय की प्रत्येक मद की बाबत लेखाविवरण में पर्याप्त ब्यौरे दिए हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 10क के अधीन विधि द्वारा अपेक्षित समय और रीति में अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने मात्र में असफल रहना ही उक्त धारा 10क के अधीन निरर्हता को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है अपितु आयोग का इस बारे में भी समाधान हो जाना चाहिए कि संबद्ध अभ्यर्थी के पास उक्त असफलता के लिए कोई वैध कारण या औचित्य नहीं था।

श्री मस्तराम द्वारा उठाया गया प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए जाने से पूर्व आयोग श्री जाखड़ द्वारा फाइल किए गए निर्वाचन व्यय का लेखा स्वीकार कर चुका था।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है और तदनुसार मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री बलराम जाखड़ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1) (ङ) के अधीन कोई निरर्हता उपगत नहीं की है।

ह०/-

नई दिल्ली, (एस०एल० शकधर)

फरवरी, 17, 1981 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[सं० एफ० 7(6)/81-वि०II]

ए० के० श्री निवासमूर्ति, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 1981

S.O. 296(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas two petitions have been filed by Shri Mast Ram, Advocate, Ferozepur City, on the 15th May, 1980 and on the 29th May, 1980 alleging that Shri Balram Jakhar, sitting member of the House of the People, has become subject to disqualification under article 102(1)(e) of the Constitution read with sections 77, 78 and 10A of the Representation of the People Act, 1951;

And whereas a reference has been made by the President to the Election Commission with reference to the said petitions under article 103 of the Constitution as to whether Shri Balram Jakhar has become subject to any of the disqualifications mentioned under Article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the jurisdiction of neither the President nor the Commission is attracted under article 103 of the Constitution in the present case and that on merits also, Shri Balram Jakhar has not incurred any disqualification under article 102(1)(e) of the Constitution read with section 10A of the Representation of the People Act, 1951;

Now, therefore, I Neelam Sanjiva Reddy, President of India, in exercise of the powers conferred on me by article 103 of the Constitution, do hereby decide, in accordance with the opinion of the Election Commission, that in respect of the petitions, the jurisdiction of neither the President nor the Commission is attracted under the said article and on merits also, Shri Balram Jakhar has not incurred any disqualification under article 102(1)(e) of the Constitution read with section 10A of the Representation of the People Act, 1951.

Rashtrapati Bhavan,
New Delhi,
the 2nd April, 1981.

NEELAM SANJIVA REDDY,
President of India

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 6 of 1980

In re : Alleged disqualification of Shri Balaram Jakhar, sitting member of the House of the People.

OPINION

This is a Reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution of India seeking the opinion of the Commission on the question of alleged disqualification of Shri Balram Jakhar, a sitting member of the House of the People, under Article 102(1)(e) of the Constitution read with Sections 77, 78 and 10A of the Representation of the People Act, 1951.

The above question was raised by Shri Mast Ram, Advocate, Ferozepur City by two petitions filed by him before the President on the 15th May, 1980 and 29th May, 1980. In these petitions, it was alleged that Shri Balram Jakhar, who was elected to the House of the People from 13-Ferozepur Parliamentary Constituency at the General Election held in December, 1979—January, 1980, did not maintain his account of election expenses as required by law under Section 77 of the Representation of the People Act, 1951, that he fabricated false account for the purpose of lodging the same under Section 78 of the said Act and that he certified the return of expenses filed by him with the District Election Officer, Ferozepur to be a true copy of the account knowing and believing the same to be false and not believing the same to be true. The petitioner gave in his aforesaid petitions some extracts from the return filed by Shri Balram Jakhar to show that the account was not maintained item-wise from day-to-day inasmuch as the date of expenditure had been shown as the date on which payments had been made and not the date on which such expenditure was incurred or authorised. It was further alleged that Shri Balram Jakhar had knowingly and intentionally understated many items of expenses and omitted to show some important expenses altogether. On the basis of these allegations, it was contended by the petitioner that Shri Balram Jakhar had incurred disqualification under Article 102(1)(e) of the Constitution read with Sections 77, 78 and 10A of the Representation of the People Act, 1951 and Sections 171-I, 191, 199 and 200 of IPC.

It is unnecessary to dilate on these contentions of the petitioner and the submissions made by Shri Balram Jakhar in his written s atement in reply to these contentions as it has to be considered first whether the jurisdiction of the President and the Election Commission under article 103 is attracted in this case. Article 103 of the Constitution will be attracted only in cases where a Member of Parliament has actually incurred any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Article 102 of the Constitution after he has become a member. In other words, the provisions in Article 103 are applicable only to post-election disqualification of a member.

Shri Balram Jakhar, has not been disqualified in terms of Article 102(1)(e) of the Constitution read with Section 10A of the Representation of the People Act, 1951. It is not a case where under orders of the Commission issued under Section 10A of the Act the member suffers from a disqualification for his failure to lodge his account of election expenses within the time and in the manner required by law. The petitioner cannot invoke Article 103 for the collateral purpose of requiring the Commission to launch at this stage an enquiry into the alleged failure of Shri Jakhar to maintain his account of election expenses in the manner required by law, and issue an order of disqualification under the said Section 10A disqualifying Shri Balram Jakhar.

In the above view, I hold that the jurisdiction of neither the President nor the Commission is attracted in the present case.

On merits also, the petitioner has not been able to prove the allegations made by him. The only objection which was passed by the petitioner at the hearing held in the matter on the 7th February, 1981, was that Shri Jakhar had not maintained a day-to-day account of the election expenses incurred or authorised by him and that he had shown the expenditure incurred or authorised on several dates under a single entry recorded on the date on which the payment in respect of such expenditure was made. The objection raised was thus purely technical in nature and related to the method of keeping the accounts by Shri Balram Jakhar. I am not persuaded to hold that by following such method of keeping accounts, Shri Jakhar had failed to maintain his account in the manner required by law, as he had given sufficient details in the statement of account in respect of each item of expenditure covered by the impugned entries. Further, under Section 10A, it is not the mere failure on the part of a candidate to lodge his account

of election expenses within time and in the manner required by law, which would be sufficient to attract the disqualification under the said Section 10A; but the Commission should also be satisfied that the candidate concerned had no good reason or justification for the said failure. The Commission has already accepted the account of election expenses filed by Shri Jakhar even before the question raised by Shri Mast Ram was referred to it by the President.

Having regard to the above view, I am of opinion and accordingly hold that Shri Balram Jakhar has not incurred any disqualification under Article 102(1)(e) of the Constitution read with Section 10A of the Representation of the People Act, 1951.

New Delhi,
February 17, 1981.

Sd/-
(S. L. SHAKDHER)
Chief Election Commissioner of India.

[No. F. 7(6)/81-Leg. II]
A. K. SRINIVASAMURTHY, Jt. Secy.
and Legislative Counsel

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981